

न्यायालय :-वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय – बैहर

**S.T.No./58/2017**  
Filing No. S.T./113/2017  
CNR-MP5005-000270-2017  
संस्थित दिनांक-21.09.2015

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा  
जिला-बालाघाट (म.प्र.) – – – – – **अभियोजन ।**

**// विरुद्ध //**

राजेश उर्फ गोलू पिता कमलसिंह यादव उम्र 20 वर्ष  
निवासी-ग्राम साल्हेवाड़ा थाना बिरसा तहसील बिरसा  
जिला-बालाघाट (म.प्र.) – – – – – **अभियुक्त ।**

=====

श्री अभिजीत बापट, ए.जी.पी. वास्ते अभियोजन ।  
श्री दीपक पंचभावे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ।

=====

**:: निर्णय ::**

**(आज दिनांक 26 जून 2018 को घोषित)**

1. अभियुक्त राजेश उर्फ गोलू यादव के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 363, 366 (क), 376(2)(आई), 376(2)(एन) एवं धारा 3 सहपठित धारा 4 तथा धारा 5 (ठ) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 17.02.2015 को रात्रि के 09:00 बजे से दिनांक 01.03.2015 के मध्य की अवधि में ग्राम साल्हेवाड़ा अंतर्गत थाना बिरसा से अवयस्क अभियोक्त्री को (जिसका नाम रेसियो *Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684* एवं साक्षी बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2004 सुप्रीम कोर्ट 3566 तथा *Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.*) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) को उसके प्राकृतिक संरक्षक की सम्मति के बिना अयुक्त संभोग करने के आशय से झुड़पी के जंगल ले जाया जाकर व्यपहरण कारित किया तथा उसके साथ

बलात्संग अथवा पेनिट्रेटिव सेक्सुएल एसाल्ट कारित किया।

2. अभियोजन का मामला यह है कि घटना दिनांक 17.02.2015 को अभियोक्त्री कक्षा नवमी की छात्रा थी। उक्त दिनांक को अभियोक्त्री के माता-पिता, बहन, भाई हनुमान मंदिर रामायण कार्यक्रम में गये थे, अभियोक्त्री अपनी दादी के साथ घर पर थी। कार्यक्रम से वापस घर आए तो अभियोक्त्री घर पर नहीं थी, अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकार अपने साथ भगाकर ले जाए जाने की शिकायत/रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बिरसा में अपराध क्रमांक 24/2015 अंतर्गत धारा 363 भा.द.वि. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। तत्पश्चात् अभियुक्त के पिता कमलसिंह के द्वारा दिनांक 01.03.2015 को आरोपी और अभियोक्त्री को बिरसा थाना लेकर आने पर, तत्पश्चात् बिरसा पुलिस ने अभियोक्त्री को दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा निर्मित किया गया, अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन अभिलिखित कर, सहमति प्राप्त कर अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया तथा अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष कराए गए एवं आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। सम्यक् विवेचना उपरांत अभियोगपत्र सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय बैहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपार्पण एवं अंतरण पश्चात इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3. चार्ज की स्टेज पर अभियुक्त ने उक्त अपराध से अस्वीकार किया है। उसका यह बचाव है कि वह निर्दोष है उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है।

4. अवधार्य प्रश्न :-

1. क्या घटना दिनांक 17.02.2015 को रात्रि 8:00 बजे अवयस्क अभियोक्त्री को उसके अभिभावकगण की सम्मति के बिना झुड़पी के जंगल ले जाया जाकर व्यपहरण कारित किया ?

2. क्या दिनांक 17.02.2015 से दिनांक 01.03.2015 के मध्य की अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ झुड़पी के जंगल ले जाकर यह जानते हुये कि उसे अयुक्त संभोग के लिये विवश किया जाएगा, व्यपहरण कारित किया ?
3. क्या उक्त अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ झुड़पी के जंगल में उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार कारित किया ?
4. क्या उक्त अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री के ऊपर पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कारित कर पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के अंतर्गत अपराध कारित किया ?

**अवधार्य प्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-**

5. सर्वप्रथम अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने बयान में अपनी जन्मतिथि 22.07.1998 बताई है तथा घटना के समय कक्षा 9वीं की छात्रा होना व्यक्त किया है। उक्त संबंध में अभियोक्त्री के अभिभावक लोकराम (अ.सा.-2) ने घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 16.5 [साढ़े सोलह] वर्ष होना बताया है तथा पुलिस को अभियोक्त्री की अंकसूची प्र. पी. 6 द्वारा जप्त किया जाना व्यक्त किया है। विवेचक टीकाराम कुर्मी (अ.सा.-7) ने व्यक्त किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री के अभिभावक लोकराम के प्रस्तुत करने पर अभियोक्त्री की अंकसूची प्र.पी. 7 के माध्यम से जप्त किया था। अभियोक्त्री के विद्यालय की प्रधान अध्यापिका श्रीमति अनीता कलचुरी (अ.सा.-3) ने व्यक्त किया है कि उनके विद्यालय के दाखिल-खारिज रजिस्टर के अनुसार अभियोक्त्री की जन्मतिथि 22.07. 1998 है, मूल दाखिल-खारिज रजिस्टर प्र.पी. 8 है तथा फोटोप्रति प्र.पी. 8-सी है। उक्त संबंध में प्रमाण प्र.पी. 9 उनके विद्यालय के उ.श्रे.शि. सी.एस. मरकाम द्वारा जारी किया जाना बताया है एवं उक्त प्रमाण पत्र बिरसा थाने द्वारा मांगे जाने पर प्रदान किया गया है।

6. बचाव पक्ष ने यह तर्क किया है कि अभियोजन ने संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं किया है कि अभियोक्त्री की आयु घटना दिनांक

को 18 वर्ष के नीचे की थी। यह भी आधार लिया गया है कि अभियोक्त्री के अभिभावक ने स्कूल में उसकी जन्मतिथि अनुमान के आधार पर लेख कराई थी।

7. तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख की सूक्ष्म विवेचना की गई।

8. उक्त संदर्भ में **न्यायदृष्टांत :- जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 7 एस.एस.सी. 263** के मामले में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि किशोर की आयु का निर्धारण धारा 68(1) किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम 12 के अनुसार किया जाना चाहिए। विधि के अंतर्गत उक्त दाखिल खारिज रजिस्टर प्र.पी. 8 में दर्ज आक्षेपित जन्मतिथि धारा 35 साक्ष्य विधान के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य है। अभियोक्त्री की रेडियोलॉजिकल आयु भी 15 वर्ष दर्शाई गई है जिसमें 6 माह की Margin Of Error की गणना किए जाने पर उक्त आयु करीब 15.5 वर्ष निकलती है। अतः अभिलेख पर आई उक्त बिंदु पर संपूर्ण साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन किए जाने पर अभियोक्त्री की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष से नीचे होना पाई जाती है।

9. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष यह है कि घटना दिनांक 17.02.2015 को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से नीचे होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

**अवधार्य प्रश्न क्रमांक-2, 3 एवं 4 का निष्कर्ष :-**

10. अब यह देखना है कि क्या अभियोजन ने आरोपी के विरुद्ध बलात्कार अथवा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असावृत के संबंध में अपना मामला संदेह से परे स्थापित किया है।

11. सर्वप्रथम लैंगिक अपराध के संबंध में विक्टिम की हैसियत एवं उसकी साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधि की समीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **गुरमीत सिंह** अवलोकनीय है जिसमें निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया

गया है।

**12. The State Of Punjab vs Gurmit Singh & Ors on 16 January, 1996 Equivalent citations: 1996 AIR 1393, 1996 SCC (2) 384 .**

The testimony of the victim in such cases is vital and unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement, the courts should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused where her testimony inspires confidence and is found to be reliable. Seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as a rule, in such cases amounts to adding insult to injury. Why should the evidence of a girl or a woman who complains of rape or sexual molestation, be viewed with doubt, disbelief or suspicion? The Court while appreciating the evidence of a prosecutrix may look for some assurance of her statement to satisfy its judicial conscience, since she is a witness who is interested in the outcome of the charge levelled by her, but there is no requirement of law to insist upon corroboration of her statement to base conviction of an accused. The evidence of a victim of sexual assault stands almost at par with the evidence of an injured witness and to an extent is even more reliable. Just as a witness who has sustained some injury in the occurrence, which is not found to be self inflicted, is considered to be a good witness in the sense that he is least likely to shield the real culprit, the evidence of a victim of a sexual offence is entitled to great weight, absence of corroboration notwithstanding. Corroborative evidence is not an imperative component of

judicial credence in every case of rape. Corroboration as a condition for judicial reliance on the testimony of the prosecutrix is not a requirement of law but a guidance of prudence under given circumstances. It must not be overlooked that a woman or a girl subjected to sexual assault is not an accomplice to the crime but is a victim of another persons's lust and it is improper and undesirable to test her evidence with a certain amount of suspicion, treating her as if she were an accomplice. Inferences have to be drawn from a given set of facts and circumstances with realistic diversity and not dead uniformity lest that type of rigidity in the shape of rule of law is introduced through a new form of testimonial tyranny making justice a casualty. Courts cannot cling to a fossil formula and insist upon corroboration even if, taken as a whole, spoken of by the victim of sex crime strikes the judicial mind as probable. In State of Maharashtra Vs. Chandraprakash Kewalchand Jain (1990 (1) SCC 550) Ahmadi, J. (as the Lord Chief Justice then was) speaking for the Bench summarised the position in the following words:

"A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical

violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated in the Evidence Act similar to illustration .

(b) **Section 114** which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction of her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

**13.** अब यह देखना है कि क्या अभियोजन ने उक्त रेसियो के परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे स्थापित किया है।



14. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने बयान में आरोपी की पहचान संदेह के परे स्थापित किया है। आगे व्यक्त किया है कि घटना के दिन उसके माता पिता हनुमान मंदिर रामायण कार्यक्रम में गये थे वह घर पर अकेली थी तब आरोपी उसके पास आया एवं उसे पकड़कर झुड़पी के जंगल ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। अभियोक्त्री के बयान में यह भी आया है कि उक्त जंगल में आरोपी ने उसे 8 दिन अपने साथ रखा था। यह भी आया है कि आरोपी खाने-पीने का सामान लेकर आता था और जगह बदल-बदलकर उसे रखता था तथा 8 दिन तक उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गलत काम करता था बाद में अपने रिश्तेदार के घर छिपाकर रखा। तत्पश्चात् अभियुक्त के पिता उसे और आरोपी राजेश को लेकर आरक्षी केन्द्र बिरसा आए थे जहाँ पुलिस ने दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 1 निर्मित किया था जिसके अ से अ भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

15. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने आगे व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था एवं मेडिकल की सहमति भी प्राप्त की थी एवं बाद में उसे अभिभावक पिता के सुपुर्द किया था तथा स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. के कथन भी अभिलिखित कराया जाना बतलाई है।

16. बचाव पक्ष द्वारा तर्क किया गया है कि अभियोक्त्री ने अभियोजन कथन के विपरीत न्यायालयीन बयान में बढ़ा-चढ़ाकर कथन किया है। यह भी आधार लिया है कि अभियोक्त्री के न्यायालयीन बयान एवं धारा 164 द.प्र.सं. के कथन में विरोधाभास है। यह भी आधार लिया गया है कि विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई है। उक्त आधार पर अभियोक्त्री की विश्वसनीयता पर आक्षेप किया गया है।

17. उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभियोक्त्री के बयान की सूक्ष्म



संवीक्षा की गई। विधि यह है कि लैंगिक अपराध के संदर्भ में मात्र विलंब से रिपोर्ट लेख कराए जाने के आधार पर अभियोजन का संपूर्ण कथानक अभिलेख से समाप्त नहीं हो जाता है। अभियोक्त्री के बयान में यह आया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे उसके घर से पकड़कर स्थानीय झुड़पी के जंगल ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) 8 दिन तक रखकर किया जाना व्यक्त किया है तथा बाद में आरोपी के पिता ने उसे और आरोपी राजेश को थाना बिरसा ले जाकर दस्तयाब कराया था तथा दस्तयाबी कार्यवाही प्र.पी. 1 की लिखापढ़ी की गई थी।

**18.** उपर्युक्त अवधि में आरोपी द्वारा अवयस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण कर झुड़पी के जंगल ले जाकर बलात्कार करने अथवा पेनिट्रेटिव सैक्सुअल एसाल्ट के संदर्भ में उसका बयान जिरह में स्थिर है।

**19.** अभियोक्त्री के बयान में यह आया है कि आरोपी राजेश ने उसे व्यपहरण कर झुड़पी के जंगल ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार कारित किया गया है। उक्त दशा में भारतीय साक्ष्य विधान की धारा **114-ए** आकर्षित होती है एवं बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर चला जाता है। तत्संबंध में आरोपी ने उक्त बर्डन डिस्चार्ज नहीं किया है।

It may be recalled that in view of Section 114-A, Evidence Act inserted by Criminal Laws (Amendment), Act, 1983, there has been effected a radical change in law relating to rape so far as the evidence relating to rape is concerned. The law is now in view of Section 114-A, Evidence Act that if the fact of sexual intercourse is proved and the victim says that she did not consent to that act, the onus shifts to the accused to show that she was a consenting party. The observation that in our society a victim of sexual intercourse does not generally make-up a false story showing herself as a victim of sexual intercourse by a stranger or an outsider may remind one of the observations of the Supreme Court in a case, where the Supreme Court said, a girl or a woman in the tradition bound non permissive society of India would be extremely reluctant even to admit that any incident which is likely to reflect on her chastity had ever occurred. She would be conscious of the danger of being ostracized by the

society or being looked down by the society, including by her own family members, relatives, friends and neighbours. She would face the risk of losing the love and respect of her own husband and near relatives, and of her matrimonial home and happiness being shattered. If she is unmarried, she would apprehend that it would be difficult to secure an alliance with a suitable match from a respectable or an acceptable family. In view of these and similar factors the victims and their relatives are not too keen to bring the culprit to book. And when in the face of these factors the crime is brought to light there is a built-in assurance that the charge is genuine rather than fabricated.

**20.** अभियोक्त्री के बयान का आगे मिलान उसके अभिभावक लोकराम के बयान से होता है। लोकराम खुरवंते (अ.सा.-2) ने व्यक्त किया है कि वह अपनी पत्नि के साथ हनुमान मंदिर कार्यक्रम में गया था, वापस लौटने पर देखा तो घर पर अभियोक्त्री नहीं मिली तब उसने मिसिंग की रिपोर्ट प्र.पी. 5 दर्ज कराई थी। आगे व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री थाने से आरोपी के साथ दस्तयाब हुई थी तथा पुलिस ने दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 1 की कार्यवाही की थी जिसके ब से ब भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। आगे व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह बताया था कि आरोपी राजेश उसे जंगल उठाकर ले गया था और उसके कपड़े उताकर उसके साथ बलात्कार करता था तथा 8 दिन जंगल में छिपाकर रखा था। अभियोक्त्री के बयान का उक्त भाग धारा 8 साक्ष्य विधान के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य है। साक्षी ने आगे यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण हेतु सहमति प्राप्त कर मेडिकल कराया था एवं अभियोक्त्री की अंकसूची पुलिस को जप्त कराया था। यह साक्षी जिरह में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्थिर है।

**21.** उक्त बिंदु पर लेखराम खोचान्डे (अ.सा.-4) ने व्यक्त किया है कि पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने पर थाने में पहुंचा था जहाँ पर अभियोक्त्री आरोपी राजेश के साथ दस्तयाब की गई थी। आगे व्यक्त

किया है कि थाने पर उसकी भतीजी ने बताया था कि आरोपी उसे ले जा करके जंगल में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। साक्षी ने आक्षेपित जप्ती पत्र प्र.पी. 7 की कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

**22.** साक्षी लेखराम खोचान्डे (अ.सा.-4) को अभियोजन ने प्रतिकूल घोषित कर भारतीय साक्ष्य विधान की धारा 154 के अंतर्गत परीक्षण किया है। प्रतिकूल घोषित साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा हेतु **रमेश मिश्रा किमिनल अपील** में पारित मत अवलोकनीय है, जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल घोषित साक्षी के बयान के उतने भाग का जितने भाग से अभियोजन मामले का समर्थन होता हो, अभियोजन के पक्ष में प्रयुक्त किया जा सकता है। उक्त संबंध में **न्यायदृष्टांत :- “ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश मिश्रा “ किमिनल अपील क्रमांक 884 वर्ष 1996 निर्णय दिनांक 13.08.1996 “** अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

Held that it is equally settled law that the evidence of hostile witness would not be toally rejected, if spoken in favour of the prosecution or the accused, but it can be subject to closest scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence may be accepted.

**23.** अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के उक्त बयान के उपर्युक्त भाग की पुष्टि मेडिकल साक्षी से होती है। मेडिकल साक्षी डॉ. प्रीति कुमरे (अ. सा.-8) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 01.03.2015 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ रहते हुए महिला पुलिस द्वारा अभियोक्त्री को लाये जाने पर उसका परीक्षण किया था। अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए थे। अभियोक्त्री के द्वितीयक जननांग पूर्णतः विकसित थे। वैजाईना में दो उंगलियां आसानी से प्रवेश कर रही थी, हाईमन रैप्चर था तथा बलात्कार के संबंध में निश्चित अभिमत नहीं दिया था। उम्र निर्धारण हेतु एक्सरे परीक्षण की सलाह दी

थी। वैजाइनल स्लाइड, प्यूबिक हेयर, पैन्टी सीलबंद कर संबंधित महिला आरक्षक को सौंप दिया था, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 22 जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी जिरह में स्थिर है। मात्र मरीज की हिस्ट्री लेख न किए जाने से मेडिकल साक्षी का बयान अभिलेख से समाप्त नहीं हो जाता है।

**24.** डॉ. एम.मेश्राम (अ.सा.-6) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 01.03.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए आरोपी राजेश का परीक्षण किए जाने पर उसके द्वितीयक जननांग पूर्णतः विकसित पाए थे तथा आरोपी राजेश को संभोग करने में सक्षम पाया था, दो सीमेन स्लाइड, प्यूबिक हेयर प्रिजर्व कर सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंप दिया था तथा परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी. 1 जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी जिरह में स्थिर है।

**25.** समुदा वल्के (अ.सा.-5) महिला आरक्षक ने व्यक्त किया है कि थाना बिरसा द्वारा बुलाए जाने पर अभियोक्त्री को मुलाहिजा हेतु प्र. पी. 11 का फार्म भरकर अभियोक्त्री को परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया था। इस साक्षी ने अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया जाना एवं स्लाइड प्राप्त किया जाना प्रमाणित किया है तथा जप्त स्लाइड थाना बिरसा जाकर उप निरीक्षक टीकाराम कुर्मी को जप्त कराया जाना व्यक्त किया है।

**26.** विवेचक टीकाराम कुर्मी (अ.सा.-7) ने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 18.02.2015 को अपराध क्रमांक 24/2015 की कायमी किया जाना तथा दिनांक 01.03.2015 को अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 1 निर्मित किया जाना, दस्तयाबी पश्चात् प्र. पी. 13 के तहत सहमति प्राप्त कर अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया जाना, घटनास्थल का मौकानक्शा निर्मित किया जाना, अभियोक्त्री अंकसूची जप्त किया जाना, शासकीय कन्या माध्यमिक शाला मानेगांव से

दाखिल खारिज पंजी वर्ष 2009–2013 की जप्ती किया जाना, प्रभारी प्रधान अध्यापक से जन्म प्रमाण पत्र जप्त किया जाना, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी. 15 निर्मित किया जाना तथा अभियोक्त्री के वैजाइनल स्लाइड, पैन्टी तथा आरोपी की सिमेन स्लाइड एवं प्यूबिक हेयर को पुलिस अधीक्षक बालाघाट के ड्राफ्ट के माध्यम से एफ.एस.एल. सागर प्रेषित किया जाना तथा रिपोर्ट प्र.पी. 20 प्राप्त किया जाना व्यक्त किया है।

**27.** उप निरीक्षक टीकाराम कुर्मी (अ.सा.-7) ने जिरह में स्पष्ट किया है कि कार्यवाही के समय अभियोक्त्री को आरोपी राजेश के साथ दस्तयाब किया था एवं दस्तयाबी की कार्यवाही प्र.पी. 1 पंचान के समक्ष की गई है।

**28.** आगे अभियोक्त्री के बयान का उक्त भाग का मिलान एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.पी. 20 से होता है जिसके अनुसार अभियोक्त्री की वैजाइनल स्लाइड में मानव शुक्राणु पाये गये हैं जिसका कोई स्पष्टीकरण बचाव पक्ष से नहीं दिया गया है। उक्तानुसार अभियोक्त्री के बयान की पुष्टि एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.पी. 20 की दस्तावेजी परिस्थितिजन्य साक्ष्य से होती है।

**29.** चूंकि उक्त घटना के समय अभियोक्त्री अवयस्क होना प्रमाणित पाई गई है। उक्त दशा में अधिनियम 2012 की धारा 29 एवं 30 अवलोकनीय है।

#### **Presumption as to certain offences-**

Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under sections 3, 5, 7 and 9 of this Act, the special court **shall presume** that such person has committed or abetted or attempted to commit the offence, as the case may be **unless the contrary is proved**,

#### **Sec. 30 presumption of culpable mental state-**

In any prosecution for any offence under this Act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the special court shall presume the existence of such mental state but it shall be a defence for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.

30. प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत आरोपी अधिनियम 2012 के अंतर्गत वर्णित उपधारणा को खंडित करने में असफल रहता है।

31. बचाव पक्ष से यह तर्क किया गया है कि रंजिश के कारण प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी को झूठा संलिप्त किया गया है। बचाव पक्ष से प्रस्तुत उक्त तर्क सारहीन प्रतीत होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी अवयस्क बालिका वास्तविक आरोपी के बजाए अन्य किसी व्यक्ति को उक्त प्रकार के अपराध में झूठा क्यों आलिप्त करेगी, क्योंकि उसकी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। किसी भी अवयस्क बालिका के साथ उक्त प्रकार से बलात्कार किए जाने से उसके मानव अधिकार का हनन होता है एवं उसके मस्तिष्क पर भविष्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है जिससे वह जिन्दगी भर उबर नहीं पाती है।

32. उक्त संबंध में स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रामदेव सिंह ए.आई.आर. 2004 सु.को. 1290 एवं लिल्लू उर्फ राजेश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 किमिनल लॉ जर्नल 2446 (सु.को.) अवलोकनीय है।

In **Lillu @ Rajesh & Anr. vs State Of Haryana on 11 April, 2013** this court dealt with the issue and held that rape is violative of victims fundamental right under Article 21 of the Constitution. So, the courts should deal with such cases sternly and severely. Sexual violence, apart from being a dehumanizing act, is an unlawful intrusion on the right of privacy and sanctity of a woman. It is a serious blow to her supreme honour and offends her self-esteem and dignity as well. It degrades and humiliates the victim and where the victim is a helpless innocent child or a minor, it leaves behind a traumatic experience. A rapist not only causes physical injuries, but leaves behind a scar on the most cherished position of a woman, i.e. her dignity, honour, reputation and chastity. Rape is not only an offence against the person of a woman, rather a crime against the entire society. It is a crime against basic human rights and also violates the most



cherished fundamental right guaranteed under Article 21 of the Constitution.

In view of International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966; United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985, rape survivors are entitled to legal recourse that does not retraumatize them or violate their physical or mental integrity and dignity. They are also entitled to medical procedures conducted in a manner that respects their right to consent. Medical procedures should not be carried out in a manner that constitutes cruel, inhuman, or degrading treatment and health should be of paramount consideration while dealing with gender-based violence.

The State is under an obligation to make such services available to survivors of sexual violence. Proper measures should be taken to ensure their safety and there should be no arbitrary or unlawful interference with her privacy.

**33.** निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी राजेश यादव उर्फ गोलू के विरुद्ध धारा 363, 366 (क), 376 (2) (एन) भा.द.वि. एवं धारा 4/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित किया है।

**34.** अतः यह न्यायालय आरोपी राजेश यादव उर्फ गोलू के विरुद्ध धारा 363, 366 (क), 376 (2) (एन) भा.द.वि. एवं धारा 4/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत दोषी पाती है।

**35.** सजा के प्रश्न पर आरोपी एवं उसके विद्वान अभिभाषक को सुनने के लिए यह निर्णय अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

सही/—

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर

**Dt. 26/06/2018.**

### आज दिनांक 27/06/2018 को सजा के प्रश्न पर सुना गया

36. सजा के प्रश्न पर आरोपी और उसके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा पूर्व की कोई दोषसिद्धि का इतिहास नहीं है, गरीब परिवार से है। अतः नरम रुख अपनाते हुए न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने की याचना की गई।
37. इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आरोपी को अधिकतम दण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया है।
38. तर्क पर विचार किया गया।
39. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सजा के बिन्दु पर सलीम के मामले में निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया है :-

### **State of M.P. V/S Saleem & Ors. 2005 Cr.L.R. (S.C.)575**

The object should be to protect the society and to deter the criminal in achieving the avowed object of law by imposing appropriate sentence. It is expected that the courts would operate the sentencing system so as to impose such sentence which reflects the conscience of the society and the sentencing process has to be stern where it should be. The courts will be failing in its duty if appropriate punishment is not awarded for a crime which has been committed not only against the individual victim but also against the society to which the criminal and victim belong. The punishment to be awarded for a crime must not be irrelevant but it should conform to and be consistent with the atrocity and brutality with which the crime has been perpetrated, the enormity of the crime warranting public abhorance and it should “respond to the society cry for justice against the criminal.”

40. अतः अपराध की प्रकृति को देखते हुए दोषी राजेश यादव उर्फ गोलू पिता कमल सिंह को धारा 363 भा.द.वि. के अंतर्गत 02 (दो)

वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/— (एक हजार) रूपए अर्थदण्ड, धारा 366 (क) भा.द.वि. के अंतर्गत 05 (पांच) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/— (एक हजार) रूपए के अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) भा.द.वि. के अंतर्गत 10(दस) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/—(दस हजार) रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत 10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/—(दस हजार) रूपए के अर्थदण्ड के दण्डादेश से दंडादिष्ट किए जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

**41.** तदनुसार दोषी राजेश यादव उर्फ गोलू पिता कमल सिंह को धारा 363 भा.द.वि. के अंतर्गत 02 (दो) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/— (एक हजार) रूपए अर्थदण्ड, धारा 366 (क) भा.द.वि. के अंतर्गत 05 (पांच) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/— (एक हजार) रूपए के अर्थदण्ड, धारा 376 (2)(एन) भा.द.वि. के अंतर्गत 10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/— (दस हजार) रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत 10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/—(दस हजार) रूपए अर्थदण्ड के दण्डादेश से दंडादिष्ट किया जाता है। अर्थदण्ड अदाएगी के व्यतिक्रम की दशा में दोषी को प्रत्येक अपराध के संबंध में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक्-पृथक् भुगताया जावे।

### // दण्डादेश चार्ट //

क्र.	धारा	कारावास की सज़ा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम
1.	363 भा.द.वि.	02 वर्ष सश्रम कारावास	1000/— रूपए	06 माह सश्रम कारावास
2.	366 (क) भा.द.वि.	05 वर्ष सश्रम कारावास	1000/— रूपए	06 माह सश्रम कारावास
3.	376 (2)(एन) भा.द.वि.	10 वर्ष सश्रम कारावास	10000/— रूपए	06 माह सश्रम कारावास

4.	6 पॉक्सो एक्ट 2012	10 वर्ष सश्रम कारावास	10000 /— रुपए	06 माह सश्रम कारावास
----	--------------------	-----------------------	------------------	----------------------------

42. समस्त धाराओं में कारावास की सज़ाए एक साथ (Concurrent) भुगताई जावे।

43. दोषी राजेश यादव उर्फ गोलू द्वारा अदा की गई अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि में से 15,000 /— (पंद्रह हजार) रुपए अपील अवधि पश्चात् अन्यथा आदेश न होने पर धारा 357 (1) द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रतिकर स्वरूप पीड़िता को देय हो।

44. धारा 357 (ए) द.प्र.सं. के अंतर्गत पीड़िता विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायोचित प्रतिकर राशि प्राप्त करने की अधिकारी होगी। उक्त संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट (म.प्र.) को अभियोक्त्री को पर्याप्त प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(A) आरोपी राजेश यादव उर्फ गोलू पिता कमल सिंह दिनांक 02.03.2015 से दिनांक 20.06.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, जिसे सज़ा के समक्ष समायोजित की जावे। तत्संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण-पत्र जारी किया जावे।

(B) निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जावे।

(C) मामले में जप्त संपत्ति स्लाइड अपील अवधि पश्चात् अन्यथा आदेश न होने पर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

मेरे डिक्टेशन पर मुद्रित।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही /—

(वाचस्पति मिश्र)

दिनांक :- 27 जून 2018

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

Contd. -